न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर

---

1. सुरेशचंद आयु 72 साल तनय स्व0 पूरनचंद जैन
2. रमेशचंद आयु 69 वर्ष तनय स्व0 पूरनचंद जैन
3. संतोषकुमार आयु 63 वर्ष तनय स्व0 पूरनचंद जैन
4. प्रकाशचंद आयु 65 वर्ष तनय स्व0 पूरनचंद जैन

सभी निवासी मंडी बामोरा तह0 बीना जिला सागर म.प्र.

....आवेदकगण

॥ विरुद्ध ॥

कड़ोरीलाल आयु 75 वर्ष तनयहीरालाल जैन
सा0 मंडी बामोरा तह0 व0जि बीना जिला सागर

.. .. अनावेदक

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त आवेदकगण अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक तह0 बीना जिला सागर द्वारा रा.प्र.क्र. 423/12 वर्ष 2016-17 मे पारित आदेश दि0 10.04.2017 से परिवेदित होकर निम्न प्रमुख कानून एवं तथ्यो के आधार पर रिवीजन प्रस्तुत करते है कि:--

1- यहकि, अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक बीना द्वारा पारित उक्त आलोच्य सीमांकन आदेश विधि के विपरीत एवं तथ्यो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यहकि, आवेदकगण की कृषिभूमि मौजा समाई प.ह.नं. 62 तहसील बीना जिला सागर भूमि खसरा नंबर 296 रकबा 1.06 हे0 ख.नं. 297/1 रकबा 1.59हे0, ख.नं. 297/3 रकबा 1.58 हे0, खा.नं. 297/2 रकबा 1.59 हे0 कृषिभूमि है जिसपर आवेदकगण मालिक काबिज है व कृषिकार्य करते है कि अनावेदकगण ने अपनी भूमि ग्राम समाई भूमिख.नं. 290/2 रकबा 0.47हे0 एवं ख.नं. 291 रकबा 0.45 हे0 भूमिका सीमांकन करावा लेकिन जो सीमांकन दिनांक 31.03.2017 को किया गया जिसकी सूचना राजस्व

(८)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3170 सुरेशचंद विरूद्ध करोडीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 42/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14-04-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	